दिये जाने हेतु नियमानुसार नोटिस प्रतिवादी सं. 4, 5, को जवाबदावा दिनांक 16.5.18 को पेश करें।

सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]

16.5.18

पत्रावली पेश हुई। पक्षकार उपस्थित।
आज R.O. सा. [illegible] जवाबदावा [illegible]
पत्रावली से [illegible] कार्यवाही हेतु
दिनांक 18/5/18 [illegible] करें।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) [illegible]

18.5.18

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता श्री [illegible] पर पेश हुए वादी शंकर व इनके अधिवक्ता उप. प्रतिवादी सं. 1 से 3 व श्री [illegible] की [illegible] उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र O.9 R.7 CPC का मय जवाबदावा मय [illegible] के साथ दस्तावेजात पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। वकील [illegible] प्रार्थना पत्र O.9 R.7 CPC पर सुनी गई। [illegible] पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थना पत्र O.9 R.7 CPC का स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 से 3 के विरुद्ध दिये गये एक तरफा कार्यवाही के आदेश अपास्त किया जाकर दो तरफा कार्यवाही किये जाने

शंकर

रामपाल
[illegible]

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के आदेश दिये जाते है। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण मे अंतिम बहस सुने जाने पर अपनी सहमति दी जाने पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

मैने बहस पर मनन किया। पठावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तदनुसार दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया, जो शामिल पठावली है। पठावली पुमार फैशल होकर दाखिल दफ्तर करे। निर्णय आज दिनांक 18/5/18 को खुली खोक अदालत कैम्प कोर्ट टोकरवाड़ पर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner